

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक  
जिला....., सं०....., सन् १९.....  
केस का प्रकार.....

<p>आदेश की क्रम संख्या</p> <p>कीस तारीख</p> <p>१</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p> <p>२</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में</p> <p>टिप्पणी, तारीख-सहित</p> <p>३</p>
<p>30.09.2014</p>	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा</b></p> <p style="text-align: center;"><b>भूमि विवाद अपील वाद संख्या: 139/2012</b></p> <p style="text-align: center;">अरुण कुमार सिंह एवं अन्य-अपीलार्थीगण</p> <p style="text-align: center;">वनाम</p> <p style="text-align: center;">राज्य सरकार-रेस्पण्डेन्ट</p> <p style="text-align: center;"><b>-:: आदेश ::-</b></p> <p>प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक: 24.03.2012 ई० अन्दर भूमि विवाद वाद संख्या: 15/11 के विरुद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है।</p> <p>वाद पुकारा गया। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद में मौजा: सोहा, थाना नं० 09 अंचल: सोनवर्षा, जिला: सहरसा के हाल सर्वे खाता 831 हाल खेसरा 2696 रकबा 41 डी० में से 13 डी० यानि 03 कट्टा जिसका चौहद्दी उत्तर : अरुण कुमार सिंह एवं अन्य, दक्षिण: अरुण कुमार सिंह एवं अन्य, पुरब: अरुण कुमार सिंह एवं अन्य एवं पश्चिम: मुख्य सड़क खेसरा नया 2696 प्रश्नगत विवादी भूमि है।</p> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी कि मुख्य सड़क 2696 से पूरब भाग निजी रास्ता आवेदक का निकासी घर तक है तथा निजी रास्ता के उत्तर भाग खेसरा नया 2005, 2004, 2002, 2003, एवं 2003/4438 खेसरा आवेदक का है तथा रास्ता में दक्षिण भाग खेसरा नया 2701, 2702 एवं 2703 की भूमि पर आवेदक का घर मकान है वो खेसरा नया 2701 वो 2702 एवं 2703 का रकबा 06 डी० उत्तर भाग पर घर मकान आवेदक का है जिसका भी गलत नक्शा निजी रास्ता में शामिल कर दिया है। वो मुख्य सड़क उत्तर-दक्षिण रूप है जिसका खेसरा 2696 है तथा मुख्य सड़क से पूरब भाग निजी निकासी रास्ता है जिसमें (F) चिन्हित कर गलत सर्वेयर ने खाता प्रतिवादी के नाम 831 खेसरा 2696 रकबा 41 डी० दर्ज कर दिया है जबकि निजी रास्ता का अंश रकबा 13 डी० के 06 डी० दक्षिण भाग में खेसरा नया 2701, 2702 एवं 2703 भाग पर आवेदक का घर-मकान है जो भूमि आवेदक के निजी खरीदगी ऐराजी का अंश रकबा पुराना खेसरा 1524,</p>	

1525, 1526, 1527, 1546 एवं 1547 खाता पुराना 82, 56 एवं 37 का अंश रकबा है बतलाते हैं।

अपीलार्थी बहस के कम में आगे कथन यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय ने विवादी भूमि रैयति भूमि होने वो घर- मकान रहने के बावजूद रैयति भूमि को दखल कब्जा की पुष्टि नहीं कर कानून के विपरीत आदेश पारित किया है तथा स्थलीय जॉच किये बगैर स्थलीय स्थिति के विपरीत आदेश पारित किया है।

अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में नजरी नक्शा, हाल सर्वे खतियान खाता नया 831 हाल खेसरा 2696, वकालतन नोटिश, केवाला नविस्ते सुरेन्द्र नारायण सिंह बहक मुरली प्रसाद सिंह दिनांक 14.02.74, केवाला नविस्ते रत्नाकर सिंह बहक अरुण कुमार सिंह दिनांक 24.07.73, केवाला नविस्ते रत्नाकर सिंह बहक अरुण कुमार सिंह दिनांक 24.07.73, केवाला नविस्ते सुरेन्द्र नारायण सिंह बहक अरुण कुमार सिंह वगैरह दिनांक 28.10.71, केवाला नविस्ते रत्नाकर प्रसाद सिंह बहक अरुण कुमार सिंह वगैरह दिनांक 21.09.1962, केवाला नविस्ते सुरेन्द्र नारायण सिंह बहक सुभद्रा देवी दिनांक 26.04.1962, मालगुजारी रसीद ज0 नं0-22 वर्ष 2001-2002, ज0 नं0 24 वर्ष 2001-2002, ज0 नं0 27 वर्ष 2001-2002, ज0 नं0-28 वर्ष 2001-2002, ज0 नं0 25 वर्ष 2001-2002, ज0 नं0 26 वर्ष 2001-2002 एवं ज0 नं0 23 वर्ष 2001-2002 एवं तैरीज तथा खेसरा पंजी की छाया प्रतियों दाखिल किया है। ये सारे कागजात चालू खतियान के संदर्भ में जिस पर अनाबाद सर्वसाधारण दर्ज है तथा रकबा 41 डि0 अंकित है, फर्जी प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनाबाद सर्वसाधारण रास्ता की भूमि सरकारी है, जिसका क्रय विक्रय/बन्दोवस्ती बिना सरकार के आदेश के नहीं किया जा सकता है।

दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता सरकार के पक्ष में बहस करते हुए अपीलार्थीगण/वादीगण के दावा को सही नहीं बतलाते हुए vehemently oppose करते हैं।

दोनों पक्षों की ओर से बहस एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख पर रक्षित कागजात के परिशीलनोपरांत अपीलवाद में सन्निहित अनाबाद सर्वसाधारण की भूमि 13 डीसमल के सन्दर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग अंचलाधिकारी, सोनवर्षा से इस कार्यालय के पत्रांक 1759/विधि (सपत्र) दिनांक 09.08.14 से की गयी वो उक्त आलोक में अंचलाधिकारी, सोनवर्षा ने अपीलार्थी अरुण कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा दाखिल अर्जी में वर्णित तथ्यों की जॉच राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से कराकर उनके जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विन्दुवार प्रतिवेदन अपने पत्रांक 1017-2 सपत्र दिनांक 29.09.14 द्वारा उपलब्ध कराया है जो अभिलेख पर रक्षित है। जॉच प्रतिवेदनानुसार मुख्य सड़क 2696 के पूर्वी भाग विवादित भूखण्ड के उत्तर, दक्षिण, पूर्वी चौहद्दी में आवेदक का मकान जमीन स्थल पर पाया गया है। स्थलीय जॉच में यह भी पाया गया है कि वर्तमान में खेसरा संख्या 2696 जो ग्रामीण मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण जाता है कि शाखा सड़क अपीलार्थीगण के मकान एवं जमीन तक बंद होता है तथा यह सर्वसाधारण सरकारी भूमि है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह अंकित किया गया है कि " सर्वेक्षण के कम में सरजमीन पर प्रश्नगत दावित खेसरा की विवादी रकबा के पश्चिम मुख्य सड़क होने एवं उक्त मुख्य सड़क से संबंध होने के कारण सड़क का विवादी रकबा भी संदर्भ खेसरा के साथ शामिल नक्शा इन्द्राज हुआ एवं तदनुसार खाता अनाबाद सर्व साधारण के नाम दर्ज हुआ। उक्त विवादी रकबा के उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर वादी की भूमि है जो मकानमय सहन है। इसी मकान मय सहन के अपना निजी मार्ग हेतु दावित विवादी रकबा को वादी द्वारा रास्ता का स्वरूप दिया गया।" वस्तुतः यह सर्वसाधारण रास्ता है।


उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता तथा अंचलाधिकारी, सोनवर्षा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की बन्दोवस्ती किसी के साथ नहीं हुई है तथा यह सर्वसाधारण आम रास्ता है। स्थानीय अंचलाधिकारी 13 डि० भूमि के अतिरिक्त 28 डि० भूमि भी चालू खतियान के अनुसार मापी करवाकर अक्रिमणमुक्त कर लेंगे। निम्न न्यायालय के आदेश में इस हद तक संशोधित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

इसकी सूचना अंचलाधिकारी, सोनवर्षा को अनुपालनार्थ दी जाए। वे गलत राजस्व रसीद काटने वाले कर्मों पर भी कार्रवाई करेंगे तथा गलत जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी को देंगे।

लेखापित एवं संशोधित।



आयुक्त,  
कोशी प्रमंडल, सहरसा



30-9-14  
आयुक्त,  
कोशी प्रमंडल, सहरसा